न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2022 **G.C.M.S. No. 2022/8** **दर्ज दिनांक : 06.01.2022**

अपीलार्थिगण:

1. उमाराम चौधरी पुत्र दरगाराम जाति सिरवी
2. चुन्नीलाल पुत्र गोदपुत्र पुनाराम जाति घांची निवासीगण बाली तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रगाराम पुत्र पुनाजी जाति सिरवी
2. मृत वरदाराम पुत्र सोनाराम, जाति सिरवी के वारिसान:–
   2/1 जसाराम पुत्र वरदाराम जाति सिरवी निवासी सिरवी समाज वडेर बामणिया, तहसील बाली व जिला पाली।
3. मृत भगाराम पुत्र सोनाराम जाति सिरवी के वारिसान:–
   3/1 वेलाराम पुत्र भगाराम
   3/2 गमनाराम पुत्र भगाराम
   3/3 नेकाराम पुत्र भगाराम, जातिगण सिरवी, निवासीगण बेरा भुरीभुआ, मोडिया मगरी रोड, बाली व जिला पाली।
4. मृत मनाराम पुत्र दौलाराम जाति सिरवी के वारिसान:–
   4/1 कसाराम पुत्र मनाराम
   4/2 सोहनलाल पुत्र मनाराम
   4/3 तेजाराम पुत्र मनाराम
   4/4 रताराम पुत्र मनाराम जातिगण सिरवी निवासी सुभाष बस्ती (वरवा का जाव) बाली व जिला पाली।
5. रामाराम पुत्र दौलाराम जाति सिरवी
6. सुकीबाई पुत्री पन्नाराम जाति सिरवी निवासीगण बाली तहसील बाली व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2020 बअनवान रगाराम बनाम चुन्नीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.12.2021

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 14.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 22/2020 बअनवान रगाराम बनाम चुन्नीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् अपीलाण्ट्स एवं शेष रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नम्बर 494 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलाण्ट्स व शेष रेस्पोंडेण्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 375 रकबा 4.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496, खसरा नम्बर 495 में से संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की ओर से प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट्स अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट संख्या 1 ने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दी और अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा भी अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दी। तत्पश्चात बिना जवाब का अवसर प्रदान किये पत्रावली को सीधे ही बहस में दिनांक 03.07.2021 को नियत कर दी और अपीलाधीन आदेश द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 495 में से और अपीलाण्ट संख्या दो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 375 में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को न तो ऑब्जेक्शन एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया और सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकरण में विधिनुसार सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से रेकर्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.11.2020 को तलब की थीं, जो दिनांक 30.07.2021 को प्राप्त होना आदेशिका में अंकित है, लेकिन तहसीलदार बाली द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, न ही रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को नोटिस दिया गया, न ही सूचना दी गई, न ही अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में मौका देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही हेतु तहसीलदार बाली को नियुक्त किया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बाली उपरोक्त कार्य हेतु अपने अधिनस्थ को विधिनुसार नियुक्त नहीं कर सकता है। तहसीलदार अपने अधिकार अपने अधिनस्थ को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है, इस कारण से प्रस्तुत रिपोर्ट न तो रेकर्ड पर लिये जाने योग्य है, न ही पढ़े जाने योग्य है। फिर भी उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही प्रकरण में जो रिपोर्ट पेश होना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

बताया गया है वह तहसीलदार बाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है, लेकिन उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौका नहीं देखा गया, बल्कि उपरोक्त रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाकर तहसीलदार को पेश की गई हैं। उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व न तो भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका देखा, न ही संबंधित खातेदारान को नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया, न ही मौका फर्द बनायी गई, केवल रिपोर्ट तैयार की गई और साथ में प्रस्तावित रास्ते का नक्शा जो पटवारी द्वारा तैयार किया गया था, को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जबकि मौका फर्द स्वयं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाया जाना आज्ञापक है। भू–अभिलेख निरीक्षक के नीचे स्तर का कोई अधिकारी, कर्मचारी न तो मौके की जांच कर सकता है, न ही ऐसी रिपोर्ट अथवा फर्द नक्शा अथवा प्रस्तावित रास्ते का नक्शा तैयार कर सकता है। उपरोक्त नक्शा पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जो विधिनुसार नहीं होकर क्षेत्राधिकार से परे है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते का नक्शा जो पटवारी द्वारा तैयार किया गया है वह राजस्व नक्शा ट्रेस के विपरीत तैयार किया गया है। जानबूझकर सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 378 की लोकेशन गलत दर्शायी है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 378 खसरा नम्बर 489 की माठ तक जाता है, जबकि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में उपरोक्त रास्ता खसरा नम्बर 378 को खसरा नम्बर 490 की माठ तक दर्शाया है, जो कूटरचित दस्तावेज है। उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र अनुसार न तो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, न ही मौका देखा गया है, न ही मौका देखे जाने से पूर्व अपीलाण्ट्स को नोटिस दिया गया है। उपरोक्त परिपत्र के विपरीत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जिसको आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेण्ट संख्या एक को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु अनेक रास्ते पहले से ही विकल्प के रूप में मौजूद है। जहां वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो, वहां नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। किंतु उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की सर्वथा अवहेलना की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम बाली में स्थित खातेदारी आराजी खसरा संख्या 494 तक पहुंच के लिए अपीलांट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2021 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में जांच रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट्स को सूचित नहीं किया गया। जबकि राजस्व मण्डल द्वारा परिपत्र जारी कर ऐसा किया जाना आवश्यक किया गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए तथा अपीलांट्स को सुनवाई का मौका नहीं देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो काबिल अपास्त है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. बाली द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार बाली को प्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार बाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा जांच प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारान को सूचित किए जाने का कोई अभिलेख नहीं हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 05.10.2020 को जारी दिशा–निर्देश अनुसार धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के प्रकरणों में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संबंधित जांच अधिकारी द्वारा सभी प्रभावित पक्षकारान को नोटिस जारी कर विधिवत सूचित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक दिशा–निर्देशों व प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।
4. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2020 बअनवान रगाराम बनाम चुन्नीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 68, 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 05.10.2020 को प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 23.09.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपीली प्राधिकारी, पाली